दिनांक 17.11.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र के अंतर्गत खुले में बासी खाद्य सामग्री के व्यवसाय करने वाले एवं गंदगी फैलाए जाने व्यवसायियों एवं नागरिकों से अर्थदंड वसूल किए जाने के तहत आज जोन क्ं्र. 06 रिसाली एंव 04 शिवाजी नगर कार्यालय के राजस्व एवं स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों के संयुक्त टीम के द्वारा आज खुले में मांस विक्रय, गंदगी फैलाने, सड़क पर बाधा पहंुचाने वाले व्यापारी एवं नागरिकों से 19 हजार अर्थदण्ड राशि वसूली की कार्यवाही की गई।

संयुक्त टीम के द्वारा आज जोन 04 शिवाजीनगर खुर्सीपार क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान होटल के पास गंदगी फैलाये जाने पर उमेश चैधरी से 3 हजार, संतोष अहिरवार, रविशंकर, लालमन सहित तीनों व्यापारियों से पृथक पृथक एक एक हजार की राशि सड़क बाधा शुल्क के रूप में लिया गया , कबाड़ी व्यापारी गरीबहा राम से 2 हजार रूपए, जोन 06 रिसाली क्षेत्र अंतर्गत पुरोहित राम देवांगन वार्ड 63 रूआंबांधा भैंस खटाल मालिक के द्वारा गंदगी फैलाए जाने के कारण 10 हजार रूपए की राशि अर्थदंड के रूप में वसूल करते हुए समझाइश दी गई कि अपने खटाल में गंदगी न फैलाए पुनः निरीक्षण के दौरान आपके खटाल में गंदगी पाए जाने पर अर्थदंड की कार्यवाही के साथ साथ आपके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावेगी। खुले में मांस मटन व्यवसाय करने वाले राजकुमार , मोहम्मद निषाद से पांच पांच सौ रूपए की अर्थदंड की राशि वसूल किया गया।

जनसम्पर्क अधिकारी